



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

पुनरीक्षण क्रमांक : /2013 R-1028-III/13

- केशव पुत्र बाबूलाल ब्रह्मण निवासी - ग्राम मढगवां, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी(म.प्र.)
बनाम
ओमप्रकाश पुत्र सीताराम ब्रह्मण,
भरतलाल पुत्र सीताराम ब्रह्मण, निवासीगण-
ग्राम काली पहाडी तहसील नरवर, जिला शिवपुरी (म.प्र.)
- विनोद पुत्र बाबूलाल ब्रह्मण, निवासी - ग्राम मढगवां, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी(म.प्र.)
—अनावेदकगण

12/13

Dr. R.D. Singh
1.2.13 stay order
Recd by me
7/13/13

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी परगना करैरा जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 03/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 01/02/2013 के विरुद्ध म.प्र.

मू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।
माननीय महोदय,
7-3-13

आवेदकगण का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

- यह कि, ग्राम काली पहाडी तहसील नरवर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक-2750 एवं 2658 कुल किता 2 कुल रकवा 1.97 हेक्टर के भूमि स्वामी आवेदक के सगे चाचा ज्वाला प्रसाद फेरन सिंह थे। आवेदक के चाचा निःसंतान थे। दिनांक 15/09/2008 को उनका स्वर्गवास हो गया। आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 3 स्व. श्री ज्वाला प्रसाद के सगे भतीजे होकर उत्तराधिकारी है।

3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R.1028+ III.13. जिला (शिवपुरी).....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-9-17	<p>आवेदक को भी आठ डी आर अपर। आमाक क 120 2 की को है ही सुबेभ बेलापुत्र अपर। आवेदक एवं आमाक र आमा की सभ उपस्थित। अकारण बाप एरु समझौता होने के कारण आवेदक प्रार्थना किया गया कि वह इस प्रकरण को सागे नहीं चलाना चाहते हैं। पक्षकारान का विवेक लीका। कावेदक प्रार्थना को सुने के इसी लो पा आमाक किया गया है। प्र. कारिण लो।</p> <p style="text-align: right;">प्र. सदाय</p>	<p>(Signature) केशव प्रसाद</p> <p>(Signature) श्रीमधुसूता</p> <p>(Signature) अशोक</p> <p>(Signature) विनोद</p> <p>(Signature)</p>

3